


राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ५४५ /2020 दिनांक : 12.02.2020


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/136/2020 दिनांक 10.01.2020 के द्वारा श्री अनिल पारवानी (RJ1165), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (चूरु) को दिनांक 13.01.2020 से 18.01.2020 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 11.01.2020 से 12.01.2020 एवं 19.01.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था. जिसमें से दिनांक 16.01.2020 से 18.01.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से

12.2.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/30/2017/ 976 दिनांक : 12.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को उनके पत्रांक 518 दिनांक 27.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल पारवानी (RJ1165), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (चूरु) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (चूरु) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (चूरु) ।


12.2.2020
सहायक रजिस्ट्रार